

UTTAR PRADESH TEXTILE TECHNOLOGY INSTITUTE

(Formerly Known as Government Central Textile Institute)

उ० प्र० वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान

11/208, Souterganj, Parwati Bagla Road, Kanpur

सं०

/

दिनांक, जून

,2018

--आदेश--

संस्था के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बी०टेक० प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष (ब्रान्च टी०टी०/टी०सी०/टी०ई०/मैन मेड फाइबर टेक्नोलॉजी) एवं एम०टेक० प्रथम वर्ष/एम०टेक० द्वितीय वर्ष (ब्रान्च टी०टी०) सत्र 2018-19 हेतु फीस का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	विवरण	बी०टेक प्रथम वर्ष	बी०टेक द्वितीय वर्ष	बी०टेक तृतीय वर्ष	बी०टेक चतुर्थ वर्ष	एम०टेक प्रथम	एम०टेक द्वितीय
1	ट्यूशन फीस	40000	40000	40000	40000	25000	25000
2	वि०वि० परीक्षा फीस	6500	6500	6500	6500	6500	6500
3	नामांकन फीस	500	0.00	0.00	0.00	500	0.00
4	छात्र निधियाँ	18375	15355	15355	15355	18375	15355
5	हॉस्टल फीस	17575	10000	8725	8725	17575	10000
6	हॉस्टल कॉशनमनी	1000	0	0	0	1000	0
7	संस्थान काशनमनी	5000	0	0	0	5000	0
8	डिग्री फीस	0	0	0	500	0	500
9	कंटीजेन्सी फीस	0	0	0	0	5000	5000
10	एल्युमिनायी फीस	1000	0	0	0	0	0
	योग-	89950	71855	70580	70580	78950	62355

नोट-

- बी०टेक प्रथम वर्ष व सीधे द्वितीय वर्ष में नव प्रवेशित छात्र/छात्राएँ काउन्सलिंग फीस को घटाकर शेष फीस जमा करें।
- हॉस्टल फीस, हॉस्टल आवंटन के पश्चात् ही जमा करें तथा हॉस्टल फीस रू० 17575.00 जमा करने की रसीद दिखाने के पश्चात् ही हॉस्टल में प्रवेश दिया जायेगा।
- छात्रवृत्ति के अन्तर्गत आने वाले छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में समाज कल्याण आयुक्त के आदेश सं० 2689 (1)/26-03-2010- 4 (358)/2007 का पालन किया जाय जिसके तहत एस०सी०/एस०टी० को छोड़कर समस्त छात्र/छात्राओं से ट्यूशन फीस संस्थान में जमा करना होगा। आय की अधिकतम सीमा एस०सी०/एस०टी० हेतु रू० 2,00,000/- तथा अन्य वर्गों में रू० 1,00,000/- मान्य होगी।
- संस्थान की फीस भारतीय स्टेट बैंक ई कलैक्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। फीस जमा करने का लिंक "PAY FEE ONLINE" संस्थान की वेबसाईड www.uptti.ac.in पर उपलब्ध है।

(डा० मुकेश कुमार सिंह)
निदेशक

कार्यालय निदेशक,
उ० प्र० वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान,
कानपुर।

सं० 1542-48 /

तददिनांक, जून 28/06/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1-समस्त विभागाध्यक्ष संस्थागत।